दिनांक 07.04.2015 को प्रधान सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में आयोजित सीतामढ़ी एवं शिवहर जिला के योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितिः–संचिका में संधारित।

1. **माप–तौल** :– माप–तौल की समीक्षा के क्रम में सहायक नियंत्रक, माप–तौल, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि शिवहर जिला के कार्यों का निष्पादन भी उनके द्वारा किया जाता है। समीक्षा के क्रम में उनके द्वारा दोनें जिलों में पेट्रोल पम्प की संख्या 77, धर्मकांटा 51, किरोसिन एजेंसी 13 एवं गैस एजेंसी 33 है। दोनों जिलों में इस वर्ष धर्मकांटा से कुल राजस्व की प्राप्ति 5,08,705/–रूपये हुई है। सहायक नियंत्रक, माप–तौल द्वारा बताया गया कि एक किराना दुकान से 300/–रूपये से 350/–रूपये का राजस्व की वसूली की जाती है। इनके द्वारा बताया गया कि धर्मकांटा में क्षमता के अनुसार जैसे 10 टन एवं 20 टन की क्षमता के लिए प्रति धर्मकांटा औसतन लगभग 10,500/–रूपये राजस्व लिया गया है। दोनों जिले में धर्मकांटा के संबंध में न्यायालय में कोई मामला दायर नहीं है।

   प्रधान सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि तेल की मापी में प्रयुक्त होने वाले मापक के प्रमाणीकरण हेतु संयुक्त निदेशक–सह–नियंत्रक, माप एवं तौल, बिहार, पटना द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाय।

2. **पक्का वर्मी बेड** :– जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि पक्का वर्मी बेड 5456 किसानों में वितरित किया गया है।

3. **सूक्ष्म पोषक तत्व योजना** :– जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि इस योजना में किसानों को शत–प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है। प्रत्येक प्रखंड में कैम्प लगाकर किसानों को जिंक का वितरण किया गया है।

4. **वर्मी कम्पोष्ट** :– प्रधान सचिव द्वारा यह जानने की इच्छा व्यक्त की गयी कि वर्मी कम्पोस्ट का प्रति बैग (50 किग्रा०) का सरकारी दर क्या निर्धारित है? इस पर जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि प्रति बैग (50 किग्रा०) का सरकारी दर 300/–रूपये निर्धारित है।

   वर्मी कम्पोस्ट वितरण का जाँच कराने एवं सत्यापन कराने का निदेश दिया गया। जिलों में कितना वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन एवं वितरण हुआ, इसका प्रतिवेदन अगले बैठक में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

5. **यांत्रिकरण योजना** :– कृषि यांत्रिकरण योजना अन्तर्गत सीतामढ़ी जिला का भौतिक लक्ष्य 7764 है, जिसके विरूद्ध जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा 4634 यंत्रों पर सब्सिडी का भुगतान किया गया है। जिले में 5.0164 करोड़ रूपये का वित्तीय लक्ष्य था, जिसमें सब्सिडी के रूप में लगभग 3.78 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 1.40 लाख की राशि को छोड़कर शेष राशि का RTGS के माध्यम से शत–प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है। सीतामढ़ी जिला में यंत्रों का भौतिक सत्यापन शत–प्रतिशत हो गया है।

   निदेश दिया गया कि सभी लाभान्वित कृषकों को राशि हस्तगत करा दिया जाय, क्योंकि Software 15 अप्रैल, 2015 तक ही कार्य करेगा। इनके द्वारा बताया गया कि जीरो टिलेज मशीन के लिए किसानों द्वारा बहुत ही कम आवेदन दिये गये हैं।

   जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर द्वारा बताया गया कि यांत्रिकरण योजना में 1.60 करोड़ लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 1.41 करोड़ है। इनके द्वारा बताया गया कि कम्बाईन्ड हार्वेस्टर के लिए किसानों से मात्र दो आवेदन प्राप्त हुआ था, लेकिन बैंक से ससमय समन्वय के अभाव में किसानों को उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

योजना के कार्यान्वियन के उपरांत जो राशि अवशेष रह गयी है एवं राशि की आवश्यकता नहीं है, उस पर प्रधान सचिव द्वारा शीघ्र निर्णय लेने का निदेश दिया गया।

6. **रब्बी अभियान** :– कृषि निदेशक द्वारा जिला कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि रब्बी अभियान के तहत मक्का एवं मटर के बीज का भौतिक सत्यापन एवं कैशबुक की जाँच शीघ्र पूरा कर लिया जाय।

   मक्का एवं दलहन के अतर्वर्ती फसल प्रत्यक्षण में कितना उत्पादन हुआ, इसका आँकड़ा प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

7. **अन्न भंडारण** :– अन्न भंडारण हेतु सीतामढ़ी जिला में कोठिला वितरण की उपलब्धि 85 प्रतिशत है एवं शिवहर जिला में 423 कोठिला वितरण के लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 420 है, जो लगभग 98 प्रतिशत है।

8. **पैडी ट्रांसप्लांटर** :– जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि जिले में पैडी ट्रांसप्लांटर की संख्या बहुत ही कम है। वर्तमान में जिले में 03 पैडी ट्रांसप्लांटर हैं।

9. **सामुदायिक नर्सरी** :– जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर द्वारा बताया गया कि जिले में 150 हेक्टेयर के लक्ष्य विरूद्ध उपलब्धि 118 हेक्टेयर है। वित्तीय लक्ष्य 25.00 लाख रूपये के विरूद्ध उपलब्धि 19.00 लाख रूपये है।

   जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि 04 प्लॉट में नर्सरी लगाया गया था। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि जिले में इसकी माँग ज्यादा है। प्रधान सचिव द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर इनके द्वारा बताया गया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण माँग ज्यादा है।

10. **मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना** :– जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि जिले में अरहर का बीज उपलब्ध नहीं कराया गया है।

    इस पर प्रधान सचिव द्वारा भविष्य में सभी योजनांतर्गत बीज की आवश्यकता का आँकलन कर बीज कंपनियों से समन्वय कर ससमय शत–प्रतिशत बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया।

11. **बीज ग्राम योजना** :– जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि इस योजना में बीज वितरण का लक्ष्य 1224 क्विंटल के विरूद्ध उपलब्धि 291.90 क्विंटल है।

    यह अत्यंत ही असंतोषजनक प्रगति है। प्रधान सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि इसमें शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाय।

    निदेशक कृषि द्वारा पूछा गया कि प्रखंडवार डीलर का Identification किया गया है अथवा नहीं? इस पर जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा संतोषजनक जबाव नहीं दिया। इस संबंध में प्रधान सचिव द्वारा कड़ी आपत्ति व्यक्त की गयी और निर्देश दिया गया कि शत–प्रतिशत Identification सुनिश्चित किया जाय।

12. **दियारा विकास योजना** :– दियारा विकास योजना में दोनों जिलों की प्रगति संतोषजनक पायी गयी।

13. **ई–किसान भवन** :– ई–किसान भवन की समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं शिवहर को ई–किसान भवन में शौचालय, पानी की सुविधा, बिजली आपूर्ति आदि उपलब्ध हैं या नहीं, इसकी पूर्ण विवरणी एवं फोटोग्राफ लेकर अगली बैठक में लेकर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

    जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर द्वारा बताया गया कि शिवहर जिले में ई–किसान भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है। बिजली का काम अभी पूर्ण नहीं हो पाया है।

14. **<u>डीजल अनुदान</u>** :– जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि जिले में 3,37,10,937/–रूपये की राशि डीजल अनुदान मद में वितरित की गयी है।

15. **<u>राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र</u>** :– राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि प्रक्षेत्रों में उपलब्ध आधारभूत संरचना यथा–प्रक्षेत्र का रकबा, बाउन्ड्री, बिजली कनेक्शन ट्रान्सफर्मर, पानी, बोरिंग, कार्यालय–सह–गोदाम भवन, थ्रेसींग फ्लोर एवं ड्रेनेज की व्यवस्था इत्यादि संबंधी प्रतिवेदन एवं प्रक्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यकता संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

16. **<u>हरित चादर योजना</u>** :– इस योजना के अन्तर्गत वितरीत किये जा रहे मूंग बीज का भौतिक सत्यापन दिनांक 10.04.2015 तक एवं ढैंचा बीज का भौतिक सत्यापन दिनांक 30.06.2015 तक कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार से कराने का निदेश दोनो जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया।

17. **<u>सीतामढ़ी के जिला कृषि पदाधिकारी को चेतावनी दी जाती है कि वे योजनाओं के कार्यान्वयन में अपेक्षित प्रगति लायें।</u>**

18. **<u>उद्यान योजना</u>** :– उद्यान योजना की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि जिलों में अवस्थित नर्सरी की सूची एवं वहाँ उपलब्ध आधारभूत संरचना का विस्तृत विवरण अगली बैठक में उपलब्ध करायेंगे।

    उद्यान योजना से लाभान्वित कृषकों का सत्यापन कृषि समन्वयक से कराकर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

19. **<u>Oil Extraction Plant</u>** :- जिलों में कितना Oil Extraction Plant किस क्षेत्र में एवं कहां अवस्थित है, इससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

20. **<u>आत्मा योजना</u>** :– आत्मा योजना अन्तर्गत राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों एवं सरकारी नर्सरी में प्रत्यक्षण कराने हेतु कार्य योजना तैयार करने का निंदेश दिया गया।

    निदेशक, बामेती को निदेश दिया गया कि आत्मा योजना अन्तर्गत जिलों में कितनी राशि अवशेष है इसका येाजनावार एवं खातावार प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

21. अगली बैठक में कोर्ट केस यथा सिविल रिट (CWJC) एवं अवमाननावाद (MJC)/सेवांत लाभ/ए0सी0/डी0सी0 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र/अंकेक्षण/जनशिकायत/राजस्व संग्रह से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :–. पी.पी. स्था. 21/2015 1944/कृ0, पटना, दिनांक 09-04-2015

प्रतिलिपिः–कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक, बामेती, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम, पटना/वरीय प्रभारी, जैविक खेती कोषांग/उप निदेशक (शष्य) बीज, बिहार, पटना/उप निदेशक (प्रक्षेत्र) बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (माप–तौल) बिहार, पटना/उप निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं शिवहर/परियोजना निदेशक, आत्मा, सीतामढ़ी एवं शिवहर/जिला उद्यान पदाधिकारी/सहायक निदेशक, माप–तौल/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सहायक निदेशक पौधा संरक्षण/ सहायक निदेशक, रसायन, सीतामढ़ी एवं शिवहर/सभी योजना के नोडल पदाधिकारी/प्रधान सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना